2018/00165

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 26 / 2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

बद्रीलाल, रमेश,सुरेश पुत्र प्रेमबाई, कमलेश बाई, कविता (नाबा0) पुत्रियां एंव रामनाथी बेवा कान्हा, कबिता नाबालिग पुत्री की वलिया माता रामनाथी जाति बैरवा निवासी फतेहपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा (अप्राथी)

उपस्थित :– श्री भगवान दास परमानी (अभिभाषक अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 19.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम फतेहपुर तहसील पीपल्दा के खसरा नम्बर 25 हाल खसरा नम्बर 55 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 69 पर उक्त अप्रार्थी श्री बद्रीलाल, रमेश, वगै0 की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम फतेहपुर के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2009–2028 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाव दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 69 सम्वत् 2072–2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाव पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण को जब जमीनर अलोट हुई, तब गैर खातेदारी में दर्ज नहीं थी, प्राथीगण का का

जमीन पर लगभग 80 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान समय में प्रार्थीगण के आस पास व प्रार्थीगण की भूमि पर खेती होती है। और आस पास कही पर भी नदी, नाला तलाव नहीं है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स की कार्यवाही खारिज फरमाई जावे।

4. प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते हैं कि ग्राम फतेहपुर तहसील पीपल्दा के खसरा नम्बर 25 हाल खसरा नम्बर 55 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 69 पर उक्त अप्रार्थी श्री बद्रीलाल, रमेश, वगै0 की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम फतेहपुर के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2009–2028 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाव दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 69 सम्वत् 2072–2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाव पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा